न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 राजेश शर्मा, आई.ए.एस

पैरोल अपील संख्या 02/2021

अपीलान्ट	बनाम	**रेस्पोडेन्टस**
1. बन्दी दिनेश सांखला पुत्र बिरमाराम सांखला निवासी– बेरा सावन ग्राम राजासनी पुलिस थाना मथानिया, जोधपुर।		1. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर। 2. सहायक पुलिस आयुक्त (पूर्व) जोधपुर। 3. अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह जोधपुर। 4. जिला परीवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 18 राज0 प्रिजन्स रिलीज पैरोल रूल्स, 2021 विरूद्ध आदेश अध्यक्ष जिला स्तरीय पैरोल परामर्शदात्री समिति जोधपुर एवं जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर के द्वारा अपीलान्ट के पैरोल हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दिनांक 27.07.2021 को अस्वीकृत किया गया।

उपस्थितीः––

1. श्री मोहम्मद असलम खॉ, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री नवल सिंह दहिया, राज0 अधिवक्ता राज्य पक्ष की ओर से।

निर्णय

दिनांकः नवम्बर, 2021

1. अपीलान्ट की ओर से यह अपील उनके पिता बिरमाराम सांखला ने धारा 18 राज0 प्रिजन्स रिलीज पैरोल रूल्स, 2021 के तहत अध्यक्ष, जिला स्तरीय पैरोल परामर्शदात्री समिति जोधपुर एवं जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर के द्वारा अपीलान्ट के पैरोल चाहे जाने बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अपने आदेश दिनांक 27.07.2021 को (समिति बैठक दिनांक 23.07.2021) को अस्वीकृत किये जाने पर दिनांक 17.08.2021 को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर मूल अभिलेख एवं रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया गया। दौरान सुनवाई अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए यह कथन किया कि अपीलान्ट की ओर से अधीक्षक केन्द्रीय

कारागृह जोधपुर के मार्फत 40 दिवसीय तृतीय पैरोल हेतु जिला कलेक्टर, जोधपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र के आधार पर आवेदन किया। जिस पर दिनांक 23.07.2021 जिला स्तरीय पैरोल परामर्शदात्री समिमि की हुई बैठक में अपीलान्ट बंदी दिनेश सांखला के आवेदन को राज्य सरकार द्वारा जारी नये पैरोल नियम, 2021 का हवाला देते हुए उसके तृतीय पैरोल आवेदन को निरस्त कर दिया गया जिसके विरूद्ध अपीलान्ट की ओर से यह अपील पेश की गई है।

3. अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि बंदी दिनेश सांखला धारा 302 के अन्तर्गत आजीवन कारावास की सजा सदआचरण पूर्वक काट रहा है, अपीलान्ट ने समाज में स्थापित होने हेतु क्रमशः निरन्तर प्रथम 20 दिवस व द्वितीय 30 दिवस सामान्य पैरोल का शांतिपूर्ण उपयोग कर नियत समय व दिनांक को आत्मसमर्पण किया है तथा पेरोल नियमों का पूण्र पालन करते हुए सजा लगने के पश्चात से संतोषप्रद आचरण अपनाते हुए जेल में सेवा कार्य कर रहा है। ऐसे में उक्त नये पैरोल नियमों के तहत उसे उसके हक की सामान्य पैरोल से वंचित किया जाना उसके व उसके परिवार आदि के लिये एक मानसिक दबाव का काम कर रहा है।

4. अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि नये पैरोल नियमों के तहत तृतीय पैरोल हेतु कुल 10 वर्ष की अवधि पूर्ण होने हेतु निर्धारित की गई है। अपीलान्ट को कुल कस्टडी में 8 वर्ष नियमित एवं 01 साल रेमीशन सहित कुल 09 साल से अधिक हो गये है तथा उसको 06 वर्ष 8 माह रेमीशन सहित पूरी कर लेने पर खुला बंदी शिविर का पात्र होने पर उसको खुला बंदी शिविर में भेजे जाने हेतु कारागार मुख्यालय को आवेदन दिसम्बर 2020 में भिजवाया जा चुका है। इसके अतिरिक्त माननीय सुप्रिम कोर्ट की रूलिग्स सुओ मोटो रिट पीटिशन, मुल्ला कमेटी की सिफारिशे, मानवाधिकार आयोग के नियमों आदि के द्वारा बार–बार सजा बंदियों को समाज में पुनः सीापित करवाने एवं शांतिपूर्ण सजा काटने, संतोषप्रद आचरण रखने वाले बंदियों को समाज से जोडने एवं जेल में रोक कर नहीं रखने हेतु सिफारिशे की जाती रही है।

5. अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अन्त में निवेदन किया कि तृतीय पैरोल मिलने से वह त्यौहारों एवं सामाजिक समारोहों में भाग ले सकेगा तथा पैरोले अवधि का ध्यान रखते

हुए तय समय पर आत्मसमर्पण कर देगा। अतः अपील प्रस्तुत करते हुए अपीलान्ट के पुत्र को 40 दिवसीय तृतीय पैरोल पर छोडे जाने का आदेश प्रदान करावें।

6. प्रत्युतर में रेस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया कि जिला स्तीय पैरोल परामर्शदात्री समिति जोधपुर के द्वारा दिनांक 23.07.2021 को हुई बैठक में लिये गये निर्णय दिनांक 27.7.2021 में अपीलान्ट बंदी दिनेश सांखला के प्रकरण में अपीलान्ट की ओर से 40 दिवस तृतीय पैरोल चाही जाने पर उसका प्रार्थनापत्र जिला स्तरीय समिति में विचारार्थ रखा गया था, तत्पश्चात समिति के निर्णय अनुसार कि बंदी दिनेश का प्रकरण पैरोल के नये नियम राजस्थान प्रिजनर्स रिलीज ऑन पैरोल रूल्स, 2021 के नियम 16 के भाग 1 (बी) के अन्तर्गत नहीं होने से (बंदी द्वारा आधी सजा 10 वर्ष नहीं भुगती गई है) अपात्र होने के कारण उसका पैरोल प्रकरण अस्वीकृत किया गया है जो नियमानुसार उचित होने से बहाल रखा जावे।

7. हमने पक्षकारान के अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं अपील में दर्शाये गये तथ्यों का अवलोकन किया। जिससे यह पाया जाता है कि अपीलान्ट बंदी दिनेश के द्वारा 40 दिवस तृतीय पैरोल चाहे जाने पर जिला स्तरीय पैरोल परामर्शदात्री समिति जोधपुर द्वारा उसके आवेदन को इस आधार पर अस्वीकृत किया गया है कि वर्तमान में राज0 प्रिजन्स रिजीज पैरोल रूल, 2021 के अनुसार पैरोल हेतु 10 वर्ष की सजा अवधि पूर्ण नहीं होने से वह पैरोल हेतु अपात्र माना गया है। अपीलान्ट के द्वारा अपनी अपील में भी अपनी सजा की अवधि 09 साल कुछ माह होना अंकित किया है। ऐसे में वह वर्तमान में नये पैरोल नियमों के अनुसार सजा अवधि 10 वर्ष पूर्ण नही करने के कारण तृतीय पैरोल हेतु पात्र नहीं माना जासकता है। जिला स्तरीय पैरोल परामर्शदात्री समिति, जोधपुर द्वारा जो निर्णय लिया गया है वो नियमों के परिप्रेक्ष्य में उचित प्रतीत होता है।

8. अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय आज दिनांक नवम्बर, .2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राजेश शर्मा)
डिवीजनल कमिश्नर,
जोधपुर